भारतीय वायुयान विधायक विधेयक 2024

प्रीलिम्स के लिये:

संसद, नागरिक विमानन महानिदेशालय, नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो, संविधान का अनुच्छेद 14, उड़े देश का आम नागरिक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डिजी यात्रा

मेन्स के लिये:

भारतीय वायुयान विधायक विधेयक, 2024, विमानन में स्थिरता, भारत का विमानन क्षेत्र

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **भारतीय वायुयान विधायक (BVV) विधेयक, 2024** पारित किया, जिसका उद्देश्य विमान अधिनियम 1934 (अंतिम बार 2020 में संशोधित) को प्रतिस्थापित करना और विमानन क्षेत्र में बड़े सुधार लाना है।

भारतीय वायुयान विधायक विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **विमान अधिनियम 1934:** विधेयक में **विमान अधिनियम, 1934 के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है,** जिसके तहत नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA), नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) और विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB) की स्थापना की गई थी।
  - ये निकाय क्रमशः सुरक्षा, संरक्षा और दुर्घटना जाँच की देखरेख करना जारी रखेंगे।
  - विधेयक में **DGCA** या **BCAS** के आदेशों के विरुद्ध केंद्र सरकार के समक्ष अपील करने की व्यवस्था की गई है, जो अंतिम प्राधिकारी होगा।
- **एकल खिड़की मंजूरी:** BVV विधेयक, 2024 **रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रतिबंधित (RTR)** प्रमाणपत्रों के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी **दूरसंचार विभाग (DoT)** से DGCA को सौंपता है।
  - इस परिवर्तन का उद्देश्य विमानन कर्मियों के लिये लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना तथा **दूरसंचार विभाग की RTR परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को दूर करना है,** जिससे DGCA की निगरानी में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
    - वैमानिकी उद्देश्यों के लिये RTR प्रमाणन या RTR (A) एक लाइसेंस है जो **किसी व्यक्ति की विमान पर रेडियो संचार उपकरण का उपयोग करने की योग्यता को प्रमाणित करता है,** मुख्य रूप से हवाई यातायात नियंत्रण संचार के लिये। यह भारत में पायलटों के लिये अनिवार्य है।
- **विमान डिज़ाइन का विनियमन:** विधेयक DGCA को न केवल विमान के विनिर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव को विनियमित करने का अधिकार देता है, बल्कि **डिज़ाइन और उन स्थानों को भी विनियमित करने का अधिकार देता है जहाँ विमान डिज़ाइन किये जा रहे हैं।**
  - इन नई शक्तियों के साथ, DGCA भारत में विमानन क्षेत्र की अधिक व्यापक और कुशल निगरानी सुनिश्चित कर सकेगा।
- **मध्यस्थ की नियुक्ति:** विधेयक केंद्र सरकार को हवाई अड्डों के निकट भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजा विवादों को सुलझाने के लिये **एकतरफा मध्यस्थ** (ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये योग्य हो या रहा हो) नियुक्त करने की अनुमति देता है।

BVV विधेयक, 2024 के संबंध में चिंताएँ क्या हैं?

- **DGCA की स्वतंत्रता का अभाव:** विधेयक DGCA को स्वतंत्र नियामकों के विपरीत प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण में रखता है तथा विधेयक **DGCA प्रमुख की योग्यता या कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं करता है,** जिसके परिणामस्वरूप हितों के टकराव की संभावना हो सकती है तथा केंद्र सरकार का प्रभाव पड़ सकता है।
- **मध्यस्थता प्रक्रिया के मुद्दे:** मुआवजा विवादों के लिये मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकती है क्योंकि यह मध्यस्थता प्रक्रिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को कमज़ोर करती है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निष्पक्षता संबंधी चिंताओं के कारण ऐसी नियुक्तियाँ **समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकती हैं।**

  - विधेयक को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 से छूट देने से सरकार मानकीकृत मध्यस्थता प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का जोखिम उठा रही है, जिससे न्यायनिर्णयन में असंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **दंड की रूपरेखा:** इस विधेयक में **केंद्र सरकार को विमानन अपराधों के लिये दंड निर्धारित करने की अनुमति दी गई है** , जिससे निश्चित विधिक दिशानिर्देशों के स्थान पर कार्यपालिका के विवेकाधिकार के कारण संभावित असंगति और निष्पक्षता के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

- माध्यस्थम् न्यायालय प्रणाली के बाहर पक्षों के विवादों का समाधान करने की विधि है। यह सुलह और मध्यस्थता के साथ-साथ एक **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) विधि** है।
- भारत में मध्यस्थता की प्रक्रिया **माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (2015, 2019 और 2021 में संशोधित)** द्वारा शासित और विनियमित होती है।
  - 2019 संशोधन अधिनियम का उद्देश्य मध्यस्थ संस्थाओं की ग्रेडिंग और मध्यस्थों को मान्यता प्रदान करने हेतु **भारतीय मध्यस्थता परिषद (ACI)** की स्थापना करना था। हालाँकि, औपचारिक रूप से ACI की स्थापना अभी नहीं हुई है और इसका संचालन भी नहीं हुआ है।

विमानन क्षेत्र के संबंध में BVV विधेयक, 2024 के क्या निहितार्थ हैं?

- **सुव्यवस्थित लाइसेंसिंग**: RTR प्रमाणन को DGCA के नियंत्रण में लाने का उद्देश्य प्रमाणन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का उन्मूलन और इसमें होने वाली देरी को कम करना है।
- **बेहतर निगरानी**: विमान डिज़ाइन को विनियमित करने और दंड अधिरोपित करने की विस्तारित शक्तियों से सुरक्षा और अनुपालन में सुधार की संभावना है।
- **नियामक चुनौतियाँ**: DGCA की स्वतंत्रता का आभाव और सरकारी केंद्रीकरण से संबंधित चिंताएँ निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती हैं।
- **निजी एयरलाइनों पर विनियामक बोझ:** संकटपूर्ण उड़ान जैसे अपराधों के लिये कठोर दंड अधिरोपित किया गया है, जिसमें एक करोड़ रुपए जुर्माना और कारावास का प्रावधान है, हालाँकि दंड अधिरोपित करने की विवेकाधीन शक्ति चिंता उत्पन्न करती है।
- **नई अनुपालन आवश्यकताओं से निजी ऑपरेटरों की लागत में बढ़ोतरी हो सकती है।**

भारत के विमानन उद्योग का परिदृश्य क्या है?

- **यात्रियों की संख्या में तीव्र वृद्धि:** वित्त वर्ष 23 में घरेलू हवाई यातायात में यात्रियों की संख्या **306.79 मिलियन** थी, जो कि **गत वर्ष की तुलना में 13.5% अधिक है**, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यातायात में **22.3%** की वृद्धि के साथ इसमें यात्रियों की संख्या **69.64 मिलियन** रही।
  - अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है।
- **बुनियादी ढाँचे का विस्तार:** वर्ष 2014 में क्रियाशील हवाई अड्डों की संख्या 74 थी जो 2024 में बढ़कर 157 हो गई है तथा 2047 तक इनकी संख्या 350-400 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **बेड़े का विस्तार: भारतीय विमानन कंपनियों ने वर्ष 2023 में 112 नए विमान शामिल किये, जिससे कुल विमानों की संख्या 771 हो गई, तथा वर्ष 2027 तक 1,100 तक पहुँचने की योजना है।**
- **बाज़ार और राजस्व वृद्धि:** भारत का विमानन राजस्व वित्त वर्ष 24 में 15-20% और वित्त वर्ष 25 में 10-15% बढ़ने की उम्मीद है।
  - माल यातायात में स्थिर वृद्धि देखी गई, वित्त वर्ष 24 में घरेलू माल ढुलाई **1.32 मिलियन टन** और अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई **2.04 मिलियन टन** रही।

//

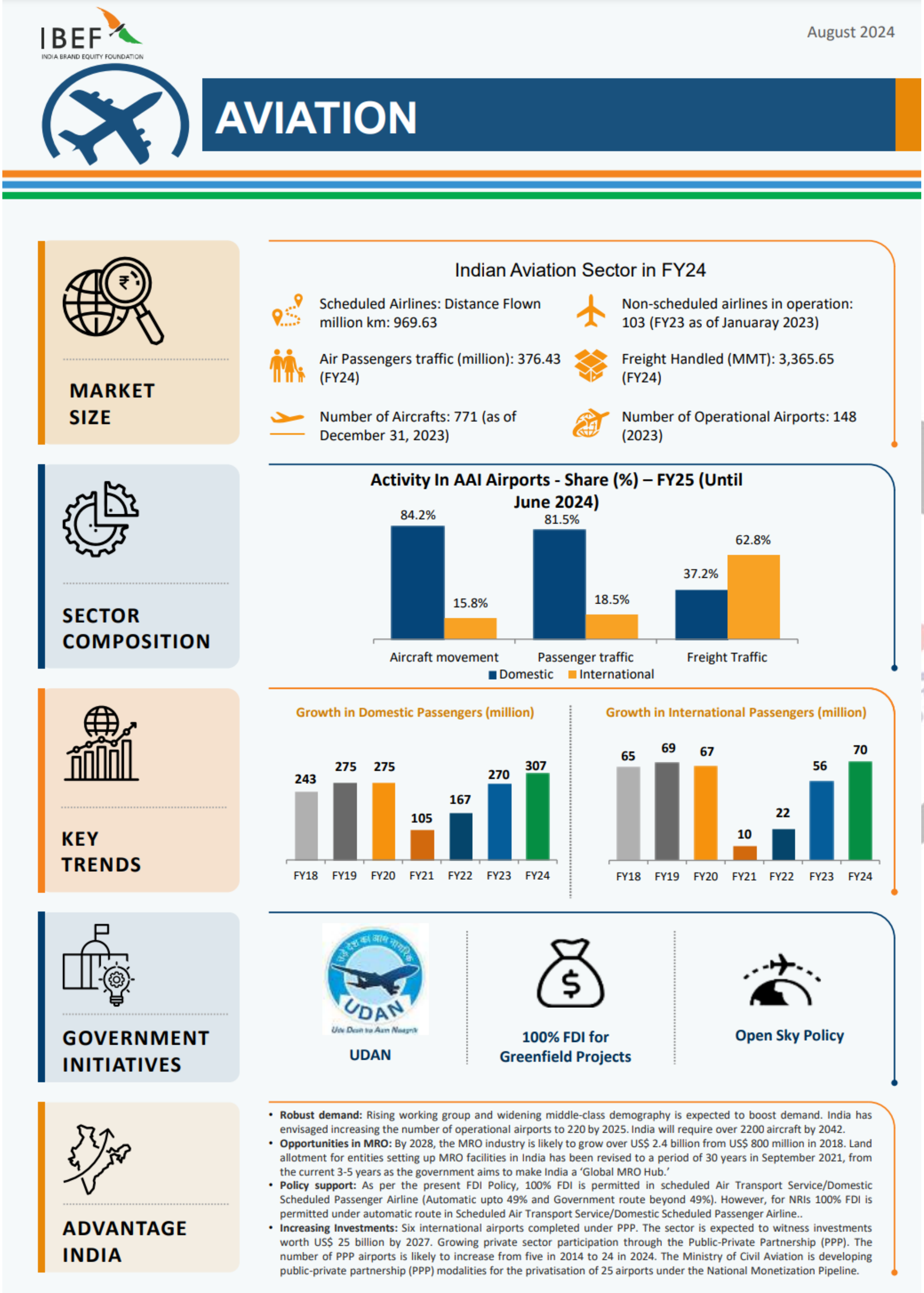

August 2024

AVIATION

MARKET SIZE

Indian Aviation Sector in FY24

- Scheduled Airlines: Distance Flown million km: 969.63
- Non-scheduled airlines in operation: 103 (FY23 as of Januaray 2023)
- Air Passengers traffic (million): 376.43 (FY24)
- Freight Handled (MMT): 3,365.65 (FY24)
- Number of Aircrafts: 771 (as of December 31, 2023)
- Number of Operational Airports: 148 (2023)

SECTOR COMPOSITION

Activity In AAI Airports - Share (%) – FY25 (Until June 2024)

84.2%
15.8%
Aircraft movement
81.5%
18.5%
Passenger traffic
37.2%
62.8%
Freight Traffic
Domestic
International

KEY TRENDS

Growth in Domestic Passengers (million)

243
275
275
105
167
270
307
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24

Growth in International Passengers (million)

65
69
67
10
22
56
70
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24

GOVERNMENT INITIATIVES

उड़े देश का आम नागरिक
UDAN
Ude Desh ka Aam Nagrik

UDAN

100% FDI for Greenfield Projects

Open Sky Policy

ADVANTAGE INDIA

- **Robust demand:** Rising working group and widening middle-class demography is expected to boost demand. India has envisaged increasing the number of operational airports to 220 by 2025. India will require over 2200 aircraft by 2042.
- **Opportunities in MRO:** By 2028, the MRO industry is likely to grow over US$ 2.4 billion from US$ 800 million in 2018. Land allotment for entities setting up MRO facilities in India has been revised to a period of 30 years in September 2021, from the current 3-5 years as the government aims to make India a 'Global MRO Hub.'
- **Policy support:** As per the present FDI Policy, 100% FDI is permitted in scheduled Air Transport Service/Domestic Scheduled Passenger Airline (Automatic upto 49% and Government route beyond 49%). However, for NRIs 100% FDI is permitted under automatic route in Scheduled Air Transport Service/Domestic Scheduled Passenger Airline..
- **Increasing Investments:** Six international airports completed under PPP. The sector is expected to witness investments worth US$ 25 billion by 2027. Growing private sector participation through the Public-Private Partnership (PPP). The number of PPP airports is likely to increase from five in 2014 to 24 in 2024. The Ministry of Civil Aviation is developing public-private partnership (PPP) modalities for the privatisation of 25 airports under the National Monetization Pipeline.

ion

विमानन उद्योग से संबंधित भारत की पहल क्या हैं?

- **नीतिगत हस्तक्षेप:**
  - **राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016:** NCAP 2016 का उद्देश्य वहनीयता और कनेक्टिविटी को बढ़ाकर, व्यापार में आसानी, विनियमन, सरलीकृत प्रक्रियाओं और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर आम जनता के लिये उड़ान को सुलभ बनाना है।
    - क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान), NCAP 2016 का एक प्रमुख घटक है।
  - **उड़ान-RCS योजना:** इसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करना है;**519 मार्गों** पर परिचालन शुरू किया गया और **13 मिलियन**

से अधकि यात्रयिों को लाभ मलिा।
    - **FDI नीत:ि** केंद्र सरकार ने हवाई परविहन और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) जैसे**वमिानन क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष वदिेशी नविेश (FDI)** की अनुमतदिी है।
- **बुनयिादी ढाँचे का आधुनकिीकरण:** **डजिी यात्रा** और **NABH नर्िमाण** जैसी पहल परचिालन दक्षता और यात्री अनुभव को बढ़ाती हैं।
    - **21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परयिोजनाओं** को मंज़ूरी दी गई है, जनिमें से 11 वर्ष 2023 तक चालू हो जाएंगी **(डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है)।**
        - ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, अवकिसति भूमपिर शुरू से नर्िमति वमिानन सुवधिाएँ हैं, जन्हिें**पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लयि पर्यावरण अनुकूल वशिेषताओं** के साथ डजिाइन कयिा गया है।
- **स्थरिता प्रयास:** दल्लिी और मुंबई जैसे हवाई अड्डों ने **लेवल 4+ कार्बन प्रमाणन** हासलि कयिा।
    - 73 हवाई अड्डे **सौर ऊर्जा** के साथ पूरी तरह से **हरति ऊर्जा** का उपयोग करते हैं, और नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे **शुद्ध-शून्य उत्सर्जन** को प्राथमकिता देते हैं।

आगे की राह

- **पारदर्शी मध्यस्थता ढाँचा: अनुच्छेद 14 के तहत समानता** के संवैधानकि अधकिार को बनाए रखने के लयि मुआवजा ववािदों के लयि**स्वतंत्र तृतीय पक्ष की नगिरानी** शुरू करना।
- **नयिामक स्वतंत्रता को मज़बूत करना: नष्पिक्षता और वशि्वसनीयता बढ़ाने के लयि DGCA को एक स्वायत्त नयिामक नकिाय के रूप में कार्य करने हेतु पुनर्गठति करने पर वचिार करना।**
- **सुसंगत दंड ढाँचा:** वमिानन अपराधों से संबंधति दंड के लयि एक स्पष्ट और सुसंगत ढाँचा वकिसति करना, कार्यकारी वविके के दायरे को कम करना और नष्पिक्षता सुनशि्चति करना।
- **समावेशी परामर्श प्रक्रयिा:** एयरलाइनों, वमिानन कर्मयिों और आम जनता सहति हतिधारकों के साथ मलिकर फीडबैक एकत्र करना और चतिाओं का समाधान करना। इससे आम सहमतबिनाने और यह सुनशि्चति करने में मदद मलि सकती है कविधियेक के प्रावधान व्यावहारकि और प्रभावी हैं।

??????? ?????? ???????:

प्रश्न: भारतीय वायुयान वधियेक 2024 के महत्व और भारत के वमिानन क्षेत्र पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजयि।

UPSC सवििल सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????

प्रश्न: सार्वजनकि-नजिी भागीदारी (PPP) मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में वमिान पत्तनों के वकिास का परीक्षण कीजयि। इस संबंध में प्राधकिरणों के समक्ष कौन-सी चुनौतयिाँ हैं? (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bharatiya-vayuyan-vidheyak-bill-2024